

13¹¹/₂₄

पत्रावली पेश हुयी। कोई भी उप० नहीं है।
 वादी व वादी वकील को बार-बार भाषण
 लगाये गये। अवाज लगाने पर वादी वकील
 उप० है। संशोधित शीर्षक पेश करने का
 एक अवसर चाहा। हमने पत्रावली का
 अवलोकन किया गया। पत्रावली में दिनांक
 7/12/2016 का वादी का प्रथम खसाल
 स्वीकार का संशोधित शीर्षक पेश करने
 हेतु दिनांक 9/11/2017 निर्णय भी गये है।
 उक्त दिनांक से आज दिनांक तक वादी
 को संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु
 काफी अवसर दिये जा चुके। लेकिन
 वादी दाय आज तक संशोधित शीर्षक
 पेश नहीं किया है। जिससे वादी का
 वाद-पत्र 09/12/05 से परिधि में भाला
 है। जिनके अन्तर्गत पत्रावली अदा फाजली
 व 09/15 CPC में खारिज की जाती
 है। पत्रावली फौजल कुमार होकर नष्ट
 हो चुका है। वाद प्रारंभ दायरेल इतना

है।

उपस्थित अधिकारी
 बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

